न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डा0, जहानाबाद

जी0आर0—430/2022
सरकार बनाम रविशंकर यादव
हुलासगंज थाना कांड सं0—12/2022

22.02.2024

जमानत प्राप्त अभियुक्त **रविशंकर यादव, विरेन्द्र यादव, नगिना यादव, वासुदेव यादव, वालदेव यादव, कोशमी देवी, सुलेखा देवी** को हाजरी है। वाद पुकार किया गया पुकार पर अभियुक्त अपने विद्वांन अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए। अभियुक्त को आरक्षि पत्र का कॉपी प्रदान किया गया। तत पश्चात अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा ***341, 323, 307, 325, 336, 337, 34 भा0द0वि0*** *के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया है। अभियुक्त के* विरूद्ध लगाया गया आरोप में **307,** भा0द0वि0 सत्र न्यायालय के अन्तर्गत विचारनीय योग है। निम्न न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं है। अतएव अभियुक्त **रविशंकर यादव, विरेन्द्र यादव, नगिना यादव, वासुदेव यादव, वालदेव यादव, कोशमी देवी, सुलेखा देवी** का वाद दौरा सुपुर्द किया जाता है। कार्यालय लिपिक सम्पुर्ण अभिलेख संबंधीत दस्तावेज के साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश जहानाबाद के न्यायालय में भेजे तथा इसकी सुचना लोक अभियोजक जहानाबाद को भी दें।

दिनांक .05.2024को उपस्थिति हेतु।

लेखापित

मु0न्या0दण्डा0